न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—3/2019/223 (2019/00003)

1. श्रीमती श्रीमती मन्जूदेवी पत्नि ओमप्रकाश, जाति यादव, निवासी रेल्वे स्टेशन के सामने, चौसला, बिजयनगर, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती विमला पत्नी सत्यनारायण कंसल, जाति अग्रवाल, निवासी 3080, पलसानिया रोड़ नसीराबाद, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 29.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 168/2016.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री प्रदीप यादव, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—26.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बारापत्थर, तहसील नसीराबाद के खसरा नंबर 833, 835, 836 व 840 की आराजी वादी की क्रयशुदा है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी के सहखातेदार है जिसका विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है व बिना विभाजन हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत् विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपीलांट को सूचित किये बिना पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष

वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त सहिस्सेदारी की अविभाजित भूमिया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 को वाद के सम्मन जारी नहीं किये, ना ही कोई सूचना दी । अधी0न्याया0 की वाद पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 21.10.2016 को वादपत्र दर्ज किया गया तथा दिनांक 5.12.2016, 27.1.2017, 24.3.2017, 29.5.2017 के अनुसार यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश व प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व वादपत्र के विधि अनुसार कोई सम्मन जारी नहीं किये गये । अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री कैम्प कोर्ट देराठू में दिनांक 29.5.2017 को पारित किया गया था जिसकी भी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । इस कारण वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद का अपीलांट जवाब पेश नहीं कर सकी तथा साक्ष्य में दस्तावेजात पेश नहीं कर सकी थी । कैम्प कोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा पारित अधिसूचनाओं के अनुसार मात्र पक्षकारान के द्वारा समझौता के आधार पर ही आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये तथा सूचना दिये एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जावे कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वर्तमान जमाबदी संवत् 2072 से 2074 की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से दिनांक 17.12.2018 को प्राप्त करने पर अपीलांट को यह जानकारी हुई कि अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलांट को बिना सूचित किये अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई है । इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.12.2018 को हुई जिस पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2018 को ही प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 18.12.2018 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की थी जिसमें अपीलांट द्वारा बिना विभाजन कराये विवादित आराजियात को बेचान किये जाने पर आमादा होने तथा वादिया के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने के कारण विभाजन का वाद पेश किया था । अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया गया है । अपीलांट ने अपनी अपील में यह कथन नहीं किया है कि अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री में क्या त्रुटि है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं

सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 21.10.2016 को वाद पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 21.10.2016 को दर्ज रजिस्टर कर प्रविवादी को जरिये नोटिस तलब किया जाने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.12.2016 नियत की गई । इसके पश्चात् प्रकरण में दिनांक 5.12.2016 एवं 27.1.2017 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यो में व्यस्त होने से तारीख तब्दील की जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.3.2017 नियत की गई। दिनांक 24.3.2017 की आदेशिका के अनुसार '' अधिवक्ता वादी ने नोटिस तलवाना पेश करने हेतु आज भी समय चाहा । पेश होने पर जारी हो । पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 26.5.2017 को पेश हो । '' इसके पश्चात् दिनांक 26.5.2017 को प्रकरण में तारीख तब्दील की जाकर दिनांक 29.5.2017 को प्रकरण को न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 लोक अदालत में रखकर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है। अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी हेतु नियत था किन्तु वादी/रेस्पो0 द्वारा नोटिस तलवाना पेश किये गये हो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । प्रकरण को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में नियत करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया हो ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 की उपरोक्त कार्यवाही से यह प्रतीत होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को वाद के नोटिस/सम्मन तामील कराये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बंटवारे के वाद में समस्त पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने इस विधिक सिद्धांत को नजरअदांज कर एकतरफा में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 को पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर